



दिनांक:- 08.11.2020

“महोबा पुलिस”



थाना चरखारी पुलिस ने हार-जीत की बाजी लगाते हुये अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री राजकुमार पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अवैध जुआं/शराब के विरुद्ध धरपकड अभियान के क्रम में कल दिनांक 07.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक चरखारी श्री श्रवण कुमार सिंह द्वारा गठित टीम जिसमें उ0नि0 अविनाश कुमार मिश्र मय हमराहियों सहयोग से 06 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. कन्धी पुत्र कल्लू अहिरवार उम्र 38 वर्ष 2. कालीचरन पुत्र रामचरन साहू उम्र 59 वर्ष 3. आकाश पुत्र अमर सिंह उम्र 19 वर्ष 4. विकाश पुत्र अमरसिंह उम्र 21 वर्ष 5. भगवानदास पुत्र बाबूलाल उम्र 18 वर्ष 6. बाबू पुत्र हरी कुशवाहा उम्र 18 वर्ष नि.गण ग्राम रिवाई थाना चरखारी जिला महोबा को कालीचरन के मकान के बगल में ग्राम रिवाई से सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के पास से 3910 रु. मालफड व जामा तलाशी 420 रु. व 52 अदद ताश पत्ता बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय में मु.अ.सं. 311/20 धारा 13 G ACT पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-थाना चरखारी..

1. उ0नि0 अविनाश कुमार मिश्र
2. हे.का. अनिल कुमार
3. का. संदीप कुमार
4. का. रत्नाकर ओझा,
5. का. आशीष कुमार
6. का. ललित कुमार

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों का विवरण:-

1. कन्धी पुत्र कल्लू अहिरवार उम्र 38 वर्ष
2. कालीचरन पुत्र रामचरन साहू उम्र 59 वर्ष
3. आकाश पुत्र अमर सिंह उम्र 19 वर्ष
4. विकाश पुत्र अमरसिंह उम्र 21 वर्ष
5. भगवानदास पुत्र बाबूलाल उम्र 18 वर्ष
6. बाबू पुत्र हरी कुशवाहा उम्र 18 वर्ष नि.गण ग्राम रिवाई थाना चरखारी जिला महोबा

बरामदगी का विवरण:- 3910 रु. मालफड से व जामा तलाशी से 420 रु. व 52 अदद ताश पत्ता बरामद हुआ।





दिनांक:- 08.11.2020

“महोबा पुलिस”



थाना पनवाडी पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जिला बदर किये गये अपराधियों के सत्यापन हेतु कार्यवाही किये जाने के आदेश के क्रम में आज दिनांक 08.10.2020 को प्रभारी पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0के0 गौतम के निर्देशन पर एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाडी श्री विनोद कुमार यादव द्वारा जिला बदर अपराधियों के सत्यापन हेतु गठित टीम के प्रयास से जिला बदर अभियुक्त हरीसिंह राजपूत पुत्र मूलचन्द्र राजपूत को गिरफ्तार किया गया जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 215/2020 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

अभियुक्त उपरोक्त को मां0 जिला मजिस्ट्रेट महोबा के आदेश दिनांक 08.10.2020 के द्वारा जिला बदर किया गया था, जिसके उपरान्त भी अभियुक्त घर पर ही निवास करता हुआ पाये जाने पर गठित टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थाना पनवाडी...

1. उ0नि0 शेरालम खां
2. उ0नि0 अवधेश सिंह सेंगर
3. का. रिन्कू सरोज
4. का. अभिषेक यादव
5. का. यादुवेन्द्र सिंह

गिरफ्तार जिला बदर अभियुक्त का विवरण:-

हरीसिंह राजपूत पुत्र मूलचन्द्र राजपूत निवासी ग्राम किल्हौवा हालपता अलीपुरा कस्बा व थाना पनवाडी जनपद महोबा





दिनांक:- 08.11.2020

“महोबा पुलिस”



थाना कुलपहाड पुलिस ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-



पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा अवैध शराब/जुआं में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध धरपकड अभियान के तहत कार्यवाही किये जाने के आदेश के क्रम में आज दिनांक 08.10.2020 को प्रभारी पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0के0 गौतम के निर्देशन पर एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड श्री अनूप दूबे द्वारा गठित टीम जिसमें उ0नि0 रघुनाथ यादव मय हमराह कर्मचारी गण की मदद से अभियुक्त मुकेश कुमार श्रीवास पुत्र अनारीलाल उम्र करीब 20 वर्ष को द्वासी मोड़ के पास बहद ग्राम द्वासी थाना कुलपहाड के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 15 लीटर कच्ची देशी शराब महुआ नाजायज बरामद की गयी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 327/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुये अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

(1) अभियुक्त मुकेश कुमार श्रीवास पुत्र अनारीलाल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम द्वासी थाना कुलपहाड जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम - थाना कुलपहाड..

- (1) उ रघुनाथ यादव 0नि0
- (2) कां अनिल कुमार 0



दिनांक:- 08.11.2020

“महोबा पुलिस”



थाना महोबकंठ पुलिस ने अवैध शराब के साथ अभियुक्ता को किया गिरफ्तार:-



पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा अवैध शराब/जुआं में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध धरपकड अभियान के तहत कार्यवाही किये जाने के आदेश के क्रम में कल दिनांक 07.10.2020 को प्रभारी पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0के0 गौतम के निर्देशन पर एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री दिनेश सिंह के नेतृत्व में गठित टीम जिसमें उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराह का0 सन्नी कटियार व म0का0 नीलू देवी के संयुक्त प्रयास से अभियान में सम्मिलित होकर अभियुक्ता मोहिनी पत्नी राजकुमार कबूतरा उम्र करीब 28 वर्ष जिसके कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज महुआ बरामद की गयी जिस आधार पर अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 168/20 धारा 60 Ex Act पंजीकृत करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण:-

मोहिनी पत्नी राजकुमार कबूतरा उम्र करीब 28 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थाना महोबकंठ...

1. उ0नि0 सचिन कुमार
2. कां0 सन्नी कटियार
3. म0 कां0 नीलू सिंह



दिनांक:- 08.11.2020

“महोबा पुलिस”



थाना कोतवाली महोबा पुलिस ने 03 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:-

प्रभारी पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर०के० गौतम के कुशल निर्देशन में वारण्टी/वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 08/11/2020 को थाना कोतवाली प्रभारी श्री लाखन सिंह द्वारा गठित टीम ने न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में केस नं० 2315/18 धारा 332/353/323 भादवि, केस नं० 386/2003 धारा 279/337/338/304A भादवि० व केस न० 2315/2018 धारा 332/353/323 भादवि० से सम्बन्धित 03 नफर वारंटी अभियुक्त क्रमशः 1. मानू पुत्र अजीज खाँ नि०भटीपुरा थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा 2. रामस्वरूप पुत्र बुद्धा अहिरवार नि० कल्याण सागर थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा 3. बन्टू पुत्र अकरम नि० भटीपुरा थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही के पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का विवरण:-

1. मानू पुत्र अजीज खाँ नि०भटीपुरा थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा
2. रामस्वरूप पुत्र बुद्धा अहिरवार नि० कल्याण सागर थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा
3. बन्टू पुत्र अकरम नि० भटीपुरा थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-थाना कोत० महोबा.....।

प्रथम टीम:-

1. व लाखन सिंह 0नि०उ०2.उ सुमित नारायण 0नि०
- 3.कां० सुनील कुमार 4. कां० नितेश कुमार

द्वितीय टीम:-

1. उ०नि० तनवीर अहमद 2. उ०नि० श्री सुमित नारायण





दिनांक:- 08.11.2020

“महोबा पुलिस”



थाना अजनर व थाना महोबकंठ पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटों के साथ मीटिंग करते हुये दी गयी हिदायत:-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा जनपद के हिस्ट्रीशीटों के सत्यापन व अपराधियों की गतिविधि पर निकट दृष्टि रखने व प्रभावी कार्यवाही किये जाने के आदेश के क्रम में आज दिनांक 08.10.2020 को प्रभारी पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर०के० गौतम के निर्देशन पर थाना अजनर में प्रभारी निरीक्षक श्री शशि कुमार पाण्डेय व थाना महोबकंठ में थानाध्यक्ष दिनेश सिंह के द्वारा हिस्ट्रीशीटों को थाना परिसर में बुलाकर मीटिंग ली गई तत्क्रम में उनका हाल जानकर, उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी ली गयी, उन्हें अपराध न करने की हिदायत दी गई व जिन हिस्ट्रीशीटों के व्यवहार में मानवीय बदलाव हुआ है उनकी चाल चलन और चरित्र को देखते हुए हिस्ट्रीशीट बंद कराने हेतु विधिक कार्यवाही के बारे में भी आश्वासन दिया गया।





दिनांक:- 08.11.2020

“महोबा पुलिस”



थाना कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब के साथ 04 अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-



दिनांक 07.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में अवैध शराब/जुआ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी श्री लाखन सिंह द्वारा गठित टीम ने कांशीराम कालोनी मोड़ से दो नफर अभियुक्तागणों 1. रुबी पत्नी शिवनाथ कबूतरा उम्र 30 वर्ष नि0 बिच्छू पहाड़िया थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा 2. रिकी पत्नी जीतू कबूतरा उम्र 25 वर्ष नि0 बिच्छू पहाड़िया थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से प्लास्टिक की पिपिया में 20 लीटर अवैध शराब बरामद हुयी जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तागणों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 598/20 व 599/20 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

2.द्वितीय टीम द्वारा आरसीसी रोड रामकुण्ड के आगे से एक नफर अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र मुन्ना अहिरवार नि0 भीतरकोट थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा उम्र लगभग 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 20 अदद क्वार्टर देशी अवैध शराब बरामद हुयी जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना



दिनांक:- 08.11.2020

“महोबा पुलिस”



स्थानीय पर मु0अ0सं0 600/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

3. तृतीय टीम द्वारा मुहल्ला डढहतमाफ मेला मैदान पुलिया से एक नफर अभियुक्त रामप्रकाश रैकवार पुत्र सुखू नि0 डढहतमाफ थाना कोतवाली महोबा को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 24 अदद क्वार्टर अवैध शराब बरामद हुयी जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 601/20 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण:-

1. रुबी पत्नी शिवनाथ कबूतरा उम्र बिच्छू पहाड़िया थाना कोतवाली 0वर्ष नि 30 महोबा जिला महोबा
2. रिंकी पत्नी जीतू कबूतरा उम्र 25 वर्ष नि0 बिच्छू पहाड़िया थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा
3. आशीष कुमार पुत्र मुन्ना अहिरवार नि0 भीतरकोट थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा उम्र लगभग 22 वर्ष

4. रामप्रकाश रैकवार पुत्र सुखू निवासी ग्राम डढहतमाफ थाना कोतवाली जनपद महोबा उम्र 48 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

प्रथम टीम:-

आबकारी टीम:-

1. रामकृष्ण चतुर्वेदी (निरीक्षक 0आ)23 बृजेश कुमार 0कां .. मसंगीता 0कां0 देवी

पुलिस टीम:- 1. उ0नि0 सुमित नारायण 2. कां0 राहुल

द्वितीय टीम:-

1. उ2 मुबीन अली 0नि0. कां दीपेन्द्र 0

तृतीय टीम:-

1. उ2 अमित द्विवेदी 0नि0. कां3 राजीव कुमार 0. कां शीलू 0



दिनांक:- 08.11.2020

“महोबा पुलिस”



थाना कबरई पुलिस ने अवैध 21 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

दिनांक 07.11.2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में अवैध शराब/जुआ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री दीपक कुमार पांडेय द्वारा गठित टीम ने ग्राम पिडारी थाना कबरई जनपद महोबा से अभियुक्त आलोक कुमार पुत्र श्री इन्द्रपाल उम्र 24 वर्ष नि० ग्रा० परसाहा थाना कबरई जिला महोबा को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से 21 अदद क्वार्टर देशी शराब बरामद हुयी।थाना हाजा पर मु.अ.सं. 294/2020 धारा 60 ex act पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण - आलोक कुमार पुत्र श्री इन्द्रपाल उम्र 24 वर्ष नि० ग्रा० परसाहा थाना कबरई जिला महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – थाना कबरई

1. उ श्री उपेंद्र प्रताप सिंह 0नि0
2. हे श्री रामस्वरूप 0कां0
3. कां दीपेश कुमार 0





दिनांक:- 08.11.2020

“महोबा पुलिस”



थाना कबरई पुलिस ने हार-जीत की बाजी लगाते हुये 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:-



श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में अवैध शराब/जुआ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री दीपक कुमार पांडेय द्वारा गठित टीम ने ग्राम गंज थाना कबरई से जुआ मे हारजीत की बाजी लगाते हुये अभियुक्त 1. नत्थू यादव पुत्र रघु यादव उम्र 50 वर्ष 2. ज्ञान सिंह पुत्र साहव सिंह उम्र 50 वर्ष 3. सुखलाल पुत्र श्री लक्ष्मी प्रजापति उम्र 28 वर्ष 4. दिलीप पुत्र सन्तोष कुमार उम्र 42 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम गंज थाना कबरई जिला महोबा को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगणों की जामा तलाशी से 620 रुपये, माल फड 3340/- रुपये बरामद हुये। थाना हाजा पर मु0अ0सं0 296/20 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. नत्थू यादव पुत्र रघु यादव उम्र 50 वर्ष
2. ज्ञान सिंह पुत्र साहव सिंह उम्र 50 वर्ष
3. सुखलाल पुत्र श्री लक्ष्मी प्रजापति उम्र 28 वर्ष
4. दिलीप पुत्र सन्तोष कुमार उम्र 42 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम गंज थाना कबरई जिला महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – थाना कबरई

1. कां हिमांशू 0
2. कां हरिओम 0
3. कां गौरव बरसैया 0

बरामदगी का विवरण:- 3340 रु. मालफड से व जामा तलाशी से 620 रु. व 52 अदद ताश पत्ता बरामद हुआ।



दिनांक:- 08.11.2020

“महोबा पुलिस”



“मिशन शक्ति” अभियान के तहत महिला थाना/एण्टी रोमियो टीम द्वारा छात्राओं/महिलाओं को किया गया जागरूक

चौक, रामकथा मार्ग, ऊदल चौक, बसस्टैण्ड में जाकर नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिए चलाये जा रहे महाभियान "मिशन शक्ति" के तहत छात्राओं को जागरूक किया गया तथा महिला हेल्पलाइन नम्बर- 1090, 181, 112, 1076 को नोट कराया गया।



आज दिनांक 08.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में उ0नि0 सुषमा चौधरी प्रभारी महिला थाना मय टीम एवं एण्टी रोमियो टीम के साथ आल्हा



दिनांक:- 08.11.2020

“महोबा पुलिस”



कोविड-19 के उल्लंघन पर किया गया 2500/-रु0 का जुर्माना एवं “यातायात माह” के तहत किये गये 94ई-चालान

यातायात नियमों के उल्लंघन पर 94 ई-चालान भी किया गया। इसी क्रम में सीओ यातायात/सदर श्री कालू सिंह द्वारा के “यातायात माह” तहत शहर के परमानन्द चौराहे पर वाहनचालकों व पैदल यात्रियों को यातायात की शपथ दिलायी गयी व यातायात नियमों से जागरूक किया गया।

“यातायात माह” जागरूकता अभियान के तहत लोगो को यातायात नियमों का पालन/ नोवल कोरोना वायरस के प्रति लोगो को जागरूक करते हुए घरों में सुरक्षित रहने तथा मास्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करने व सोशल डिस्टेन्स (02 गज की दूरी) बनाये रखने की अपील की गई, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके



आज दिनांक 08.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में कोविड-19 का पालन कराये जाने तथा “यातायात माह” के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे संघन चेकिंग/जागरूकता अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में चेकिंग की गई। जिसके तहत कोविड-19/यातायात नियमों के उल्लंघन पर समस्त थानों द्वारा कोविड-19 के तहत 17 व्यक्तियों से 2500/-रु0 जुर्माना वसूला गया तथा



दिनांक:- 08.11.2020

“महोबा पुलिस”



***महोबा पुलिस** द्वारा फ्लैग मार्च करके की गई

अराजक तत्वों की चेकिंग व लोगों को **कोविड-19** के प्रति किया गया जागरूक*



आज दिनांक 08.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे पैदल गस्त के दौरान संदिग्धो/संवेदनशील/धार्मिक जगहों की चेकिंग एवं **कोविड-19** के मद्देनजर मास्क चेकिंग/जागरूकता अभियान के तहत जनपद के

समस्त थानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के मुख्य बाजार/संवेदनशील जगहों पर पैदल गस्त करके चेकिंग की गई।

पैदल गस्त के दौरान लोगों को कोविड-19 संक्रमण के बारे में जागरूक भी किया गया। लोगों से मास्क लगाने व 02 गज की दूरी बनाये रखने की अपील की गई।





दिनांक:- 08.11.2020

“महोबा पुलिस”



शादीय नवरात्र, 2020 - बासन्तिक नवरात्र, 2021

महोबा पुलिस